मध्यप्रदेश शासन
सहकारिता विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

वर्ष 2015-2016

मध्यप्रदेश शासन

सहकारिता विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015-2016

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय

2016

माननीय सहकारिता मंत्रीजी सहकारिता में नवाचार विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुये

कृषिकर्मण पुरूस्कार में विभाग की महती भूमिका के लिए प्रमुख सचिव, सहकारिता को प्रशस्तिपत्र प्रदान करते हुये माननीय मुख्यमंत्री

विभाग का नाम	::	सहकारिता
मंत्री	::	श्री गोपाल भार्गव

सचिवालय

प्रमुख सचिव	::	श्री अजीत केसरी, (आई.ए.एस.)
उप सचिव	::	श्री प्रकाश खरे
अवर सचिव	::	श्री मनोज सिन्हा
अवर सचिव	::	श्रीमती गायत्री पाराशर

विभागाध्यक्ष

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं	::	श्री मनीष श्रीवास्तव, (आई.ए.एस.)

प्रस्तावना

लोकतांत्रिक साधन के रूप में पारस्परिक सहायता पर आधारित सहकारी संस्थाओं का गठन कर उनका विकास करने, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए और उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश में विभिन्न स्तर पर विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थायें गठित की गई हैं। वर्तमान अर्थ व्यवस्था में सहकारिता क्षेत्र अपनी भूमिका का निर्वहन आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन में सक्षमता के साथ कर रही हैं। परिणामस्वरूप सहकारी संस्थायें उनसे जुडे समाज के अत्यंत पिछड़े समुदाय एवं महिलाओं को अपने माध्यम से आर्थिक उत्थान को केन्द्र बिन्दु में रखकर सामाजिक समानता प्राप्त करने के महत्वपूर्ण साधन के रूप में स्वयं को स्थापित करता जा रहा है।

सहकारिता विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थाएं है। वर्तमान में इनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में लोकोपयोगी कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश में सहकारी आंदोलन ने अपनी अनेक चुनौतियों के बावजूद भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, दलित और शोषित कमजोर वर्गो के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा गांव–गांव में सहकारी साख सुविधाओं का व्यापक विस्तार किया गया है। सहकारी संस्थाएं फसल ऋण, उत्तम खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर कृषि उपज खरीद, उपभोक्ता, आवास, मत्स्य, डेयरी, बुनकर खनिज, वनोपज, बीज उत्पादन, शिक्षा प्रशिक्षण तथा औद्योगिक इकाईयों के निर्माण एवं संचालन के लिए संकल्पित है।

प्रदेश में 4524 प्राथमिक सहकारी साख संस्थाओं के माध्यम से कृषक सदस्यों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में निर्धारित लक्ष्य रूपये 18000 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 11.12.2015 तक रूपये 11546.84 करोड़ अल्पकालीन फसल ऋण वितरण किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 में अल्पकालीन फसल ऋण हेतु रूपये 21600 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 2016–17 तक प्रदेश में लगभग 37 लाख कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर अल्पकालीन फसल ऋण का लाभ दिया जाना अनुमानित है, जिसमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों की संख्या लगभग 10.15 लाख होने का अनुमान है।

प्रदेश में 30 राजस्व जिलों में 25 एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी है। वर्तमान में 13 जिलों में 12 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। शेष 08 जिलों में से 05 जिले क्रमशः सतना, मण्डला, पन्ना, श्योपुर, मुरैना जिले की डी.पी.आर राज्य शासन से अनुमोदित होकर निगम की स्वीकृति हेतु अनुशंसित कर दी गई है एवं शेष 03 जिले क्रमशः डिण्डोरी, दतिया, दमोह की डी.पी.आर तैयार हो चुकी है शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भाग – एक

विभागीय संरचना एवम् कार्यकलाप

विभागाध्यक्ष के रूप में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें कार्यरत है, जिनका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। विभागाध्यक्ष कार्यालय एवम् उनके अधिनस्थ कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार हैः–

1. अध्यक्ष म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण, भोपाल।
2. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐ, म0प्र0।
3. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल।

1. म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकरण, सहकारी न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों पर की गई अपील रिवीजन आदि का निराकरण करता है। अधिकरण में अध्यक्ष के अलावा एक शासकीय एवं एक अशासकीय सदस्य का प्रवधान है।
2. आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं के अधीन विभिन्न अधिकारी संभाग/जिलों में कार्यरत है। विभाग का नेटवर्क जिला स्तर तक फैला है। विभाग में अंकेक्षण बोर्ड कार्यरत है। जिसमें जिला स्तर पर सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं (अंकेक्षण) जिला अधिकारी के रूप में पदस्थ है।
    1. संभागों के नाम जहां संयुक्त आयुक्त सहकारिता एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐं संभाग प्रमुख हैः–
       भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा, नर्मदापुरम, शहडोल एवं चंबल संभाग (10 संभाग)
    2. जिलों के नाम जहां उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला प्रमुख हैः–
       भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, रीवा, होशंगाबाद, शहडोल, सीहोर, राजगढ, विदिशा, रायसेन, बैतूल, खरगौन, धार, खण्डवा, झाबुआ, देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, मुरैना, भिण्ड, शिवपुरी, गुना, सिवनी, नरसिंहपुर, छिन्दवाडा, बालाघट, टीकमगढ, छतरपुर, सीधी, सतना, अलीराजपुर सिंगरोली, बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर, आगर (मालवा) (कुल 40 जिले)
    3. जिलों के नाम जहां सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं जिला प्रमुख हैः–
       हरदा, बडवानी, नीमच, दतिया, श्योपुर, कटनी, डिण्डोरी, दमोह, पन्ना, उमरिया, मण्डला (कुल 11 जिले)
    4. प्रदेश के 51 जिलों में सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐं (अंकेक्षण) पदस्थ है।
    5. न्यायिक मामलो के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु मुख्यालय स्तर पर 01 पद अपर पंजीयक, 02 पद संयुक्त पंजीयक, 03 पद उप पंजीयक एवं 04 पद संयुक्त पंजीयक, संभागीय मुख्यालय, भोपाल, इन्दौर,ग्वालियर, जबलपुर तथा 04 पद उप पंजीयक जिला कार्यालय, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर,

जबलपुर के लिये स्वीकृत हैं, तथा उक्त न्यायालयों हेतु 14 पद शीघ्रलेखक, 28 पद न्यायालयिन लिपिक 14 पद भृत्य के (कलेक्टर दर से) स्वीकृत है।

3. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, सहकारी संस्थाओं के निष्पक्ष एवं सुचारू रूप से निर्वाचन का कार्य संचालन हेतु निर्वाचन प्राधिकारी के अलावा सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, के स्वीकृत पदों का प्रावधान है।

वर्ष 2015–16 में किये गये स्थानान्तरण, विभागीय जॉच, पदोन्नतियॉ समयमान वेतनमान, नियुक्तियॉ आदि का विवरण।

वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार स्थानान्तरण किये गये।

क्रमांक	श्रेणीवार	प्रशासकीय	स्वयं के व्यय पर	आपसी	निरस्त
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम श्रेणी	29	–	–	–
2	द्वितीय श्रेणी	25	10	–	–
3	1. कार्यपालिक	117	69	–	21
	2. अकार्यपालिक	19	18	–	–
4	चतुर्थ श्रेणी	–	05	–	–
	योग	190	102	–	21

विभागीय जॉच – (वर्ष 2015–16)

अ.क्र.	पद श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में शेष	वर्ष में निराकृत	नये प्रकरण	योग
1	राजपत्रित	16	03	01	14
2	अराजपत्रित	59	12	13	60
योग		75	15	14	74

पदोन्नति – वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार पदोन्नतियॉ की गई है।

क्रमांक	श्रेणी	संख्या
1	प्रथम श्रेणी में	07
2	द्वितीय श्रेणी में	16
3	1. कार्यपालिक में	18
	2. अकार्यपालिक में	26
4	चतुर्थ श्रेणी में	–
	योग	67

समयमान वेतनमान – वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार समयमान वेतनमान दिया गया है।

क्रमांक	श्रेणी	संख्या
1	प्रथम श्रेणी	09
2	द्वितीय श्रेणी	–
3	1. कार्यपालिक	94
	2. अकार्यपालिक	62
4	चतुर्थ श्रेणी	03
योग		168

वर्ष 2015–16 में निम्नानुसार नियुक्तियॉ की गई है।

क्रमांक	श्रेणी	सामान्य	अ0जा0	अ0ज0जा0	अ0पि0व0	योग
1	द्वितीय श्रेणी	–	–	–	–	–
2	1. कार्यपालिक	–	10	14	–	24
	2. अकार्यपालिक	02	–	–	–	02
3	चतुर्थ श्रेणी	01	–	–	–	01
	योग	03	10	14	–	26

(1) मंत्री परिषद के निर्णय के पालन में वर्ष 2015–16 में मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन संघ के तृतीय श्रेणी के 15 कर्मचारियों का विभाग में उप अंकेक्षक के पद पर तथा सहायक ग्रेड 03 के पद पर 03 कर्मचारियों का संविलियन किया गया है।

(2) वर्ष 2015–16 में उप अंकेक्षक के 24 बैकलॉग के पदों पर व्यापम द्वारा चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई है।

(3) सहायक ग्रेड–3 के पद पर 02 तथा भृत्य के पद पर 01 अनुकम्पा नियुक्तियॉ की गई है।

म0प्र0 राज्य सहकारी अधिकरण, विन्ध्याचल भवन भोपाल

अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति

(वर्ष 2015–16)

अ. क्र.	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	रिर्माक
1	2	3	4	5	
1	अध्यक्ष	01	–	01	–
2	विभागीय सदस्य	01	01	–	–
3	सदस्य (सहकारी क्षेत्र से)	01	–	01	–
4	रजिस्ट्रार	01	01	–	–
5	शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (हिन्दी)	03	02	01	एक पद प्रतिनियुक्ति से

6	शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (अंग्रेजी)	01	—	01	—
7	सहायक ग्रेड–1	02	02	—	एक पद प्रतिनियुक्ति से
8	सहायक ग्रेड–2	04	04	—	एक पद प्रतिनियुक्ति से
9	सहायक ग्रेड–3	03	01	02	—
10	वाहन चालक	04	03	01	03 प्रतिनियुक्ति से
11	जमादार	01	—	01	—
12	भृत्य	09	04	05	02 प्रतिनियुक्ति से
13	चौकीदार	01	01	—	एक पद प्रतिनियुक्ति से
14	सफाईवाला कम फर्राश	01	—	01	
		33	20	13	

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्रधिकारी कार्यालय सतपुडा भवन भोपाल
अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की स्थिति

(वर्ष 2015–16)

अ. क्र.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5
1	निर्वाचन प्रधिकारी	01	01	—
2	सचिव	01	01	—
3	उप सचिव	01	—	01
4	अवर सचिव	01	01	—
5	लेखापाल	01	01	—
6	सहकारी निरीक्षक	02	—	02
7	लिपिकीय कर्मचारी	04	—	04
8	शीघ्रलेखक	04	—	04
9	कम्प्यूटर आपरेटर	02	02	—
10	भृत्य	05	03	02
11	प्रोसेस सर्वर	02	01	01
12	चौकीदार	01	01	—
		25	11	14

मुख्यालय तथा संभाग/जिलों में अधिकारियों एव कर्मचारियों के स्वीकृत पदों की स्थिति वर्ष 2015–16

अ. क्र.	पद नाम	मुख्यालय स्तर पर	संभाग स्तर पर	जिला स्तर पर	योग
1	2	3	4	5	6
1	आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	01	–	–	01
2	अपर आयुक्त एवं अपर पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	03	–	–	03
3	संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	03	14	–	17
4	संयुक्त संचालक वित्त	01	–	–	01
5	उप आयुक्त एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	08	–	44	52
6	सहायक आयुक्त एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाऐ	18	–	69	87
7	सहायक यंत्री	01	–	–	01
8	प्रशासकीय अधिकारी	01	–	–	01
9	लेखा अधिकारी	01	–	–	01
10	अंकेक्षण अधिकारी	09	10	112	131
11	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	18	–	308	326
12	सहकारी निरीक्षक	30	18	860	908
13	उप अंकेक्षक	08	–	466	474
14	अधीक्षक	06	–	–	06
15	संभागीय अधीक्षक	–	10	–	10
16	सहायक ग्रेड–1	22	–	86	108
17	सहायक ग्रेड–2/न्यायालयिन लिपिक	55	26	116	197
18	सहायक ग्रेड–3	41	27	147	215
19	स्टेनोग्राफर	16	14	12	42
20	स्टेनोटायपिस्ट	03	–	20	23
21	वाहन चालक	04	02	16	22
22	सुपरवाईजर	02	–	–	02
23	दफ्तरी	03	10	33	46
24	जमादार	01	–	–	01
25	भृत्य	42	37	191	270
26	चौकीदार	02	–	06	08
27	फर्राश	02	–	06	08
28	पानीवाला	02	–	–	02
29	स्वीपर	01	–	–	01

विभाग के अन्तर्गत आने वाले प्रमुख शीर्ष संस्थाओं का विवरण

1. सहकारिता विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

क्रमांक	संस्था का नाम
1	म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
2	म.प्र. राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्या., भोपाल – परिसमापनाधीन
3	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. भोपाल
4	म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्या. भोपाल
5	म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या., भोपाल
6	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल
7	म.प्र. राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ मर्या., भोपाल – परिसमापनाधीन
8	म.प्र. राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्या., भोपाल
9	म.प्र. राज्य सहकारी मुद्रणालय मर्या., भोपाल

2. पशुपालन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	एम.पी.स्टेट को–ऑपरेटिव्ह डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल

3. वन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य लघुवनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्या. भोपाल

4. मछली पालन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य मत्स्य सहकारी महासंघ मर्या. भोपाल

5. ग्रामोद्योग विभाग के प्रशासकीय निंयत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य सहकारी औद्योगिक संघ मर्या., भोपाल

6. उधोग विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य सहकारी पावरलूम बुनकर संघ मर्या., बुरहानपुर

7. अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण अंतर्गत

1	म.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्या.,भोपाल

विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन प्रमुख शीर्ष सहकारी संस्थाओं के क्रियाकलाप

1/ सहकारी साख संरचना

प्रदेश में कृषकों को अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदाय करने हेतु त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जिसके अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक एवं उनकी 24 शाखाऐं जिला स्तर पर 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक एवं उनकी 829 शाखाऐं, ग्रामीण स्तर पर प्रदेश की 4524 प्राथमिक सहकारी साख समितियां कार्यरत है, जिसकी पहुंच प्रदेश के प्रत्येक गांव में है। प्रदेश की अल्पकालीन त्रिस्तरीय साख संरचना निम्नानुसार है:-

I. प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं

वर्तमान में प्रदेश में 4524 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाऐं कार्यरत हैं। कृषकों को अल्पकालीन फसल ऋण इन संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। इन संस्थाओं के द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋण की प्रतिपूर्ति जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के द्वारा की जाती है। इन संस्थओं के द्वारा मुख्यतः कृषि कार्यो के लिए अल्पकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है जो कि नगद ऋण, खाद, बीज तथा कीटनाशक दवाई के रूप में होता है। इसके साथ ही इन संस्थाओं के द्वारा राज्य शासन की अनेक जनकल्याणकारी योजनाओ का क्रियान्वयन किया जाता है यथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों के संचालन एवं समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान तथा मक्का आदि का भी उपार्जन किया जाता है।

II. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के द्वारा न केवल प्राथमिक सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरित कृषि ऋण वितरण की प्रतिपूर्ति की जाती है बल्कि इन बैंकों के द्वारा अकृषि ऋण यथा आवास ऋण, वाहन ऋण, व्यावसायिक ऋण आदि भी दिया जाता है। प्रदेश में 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकें अपनी 829 शाखाओं के माध्यम से व्यवसाय करती हैं। सभी 38 बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त है। प्रदेश की सभी 38 जिला बैंकों में कोर बैंकिंग के माध्यम से बैंकिंग की जा रहा है। जिला बैंकों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :-

(राशि रूपये करोड़ों में)

क्र.	मद	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16 (31.12.2015 तक)
1.	जिला बैंकों की संख्या	38	38	38
2.	अमानतें	11078.41	11431.72	12238.94
3.	कार्यशील पूंजी	23673.29	26004.35	27284.12
4.	ऋण वितरण	13320.00	135997.88	11546.84

III. म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक)

अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के अंतर्गत यह शीर्ष स्तरीय संस्था है। अपेक्स बैंक न केवल अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की प्रतिपूर्ति जिला बैंकों को करता है बल्कि यह अपनी 24 शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय भी करता है। प्रदेश में सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को 51.51 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किये गये हैं। प्रदेश की सभी सहकारी बैंकों मे कोर बैंकिंग प्रणाली लागू हो गई है जिससे अपेक्स बैंक मुख्यालय एवं इसकी 24 शाखाओं एवं 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के मुख्यालय एवं 829 शाखाओं में कोर बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत बैंकिंग कार्य किया जा रहा है।

(राशि रूपये करोड़ों में)

क्र.	मद	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16 (31.12.2015 तक) अनुमानित
1.	शाखाओं की संख्या	24	24	24
2.	अंशपूंजी	394.55	471.75	492.68
3.	अमानतें	4608.52	5095.62	4803.04
4.	कार्यशील पूंजी	12239.24	13316.18	12023.32
5.	शुद्ध लाभ (वार्षिक)	65.59	74.09	––

2. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या., भोपाल

विपणन क्षेत्र में द्विस्तरीय संरचना के अन्तर्गत प्रदेश में कृषि उपजों के विपणन एवं भंडारण के उद्देश्य से शीर्ष स्तर पर म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ वर्ष 1956 से तथा विकास खण्ड स्तर पर विपणन संघ से संबद्ध 230 प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाएं कार्यरत है। संघ द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से कृषकों को गुणवत्ता युक्त कृषि आदान जैसे उर्वरक, कीटनाशक दवाईयां, प्रमाणित बीज एवं कृषि उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं। कृषि उपजों को वैज्ञानिक ढंग से भंडारण की व्यवस्था करना तथा राज्य शासन के कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषि उपजों का समर्थन मूल्य पर उपार्जन करना संघ का मुख्य कार्य है। संघ द्वारा 41 जिला कार्यालयों के माध्यम से उक्त व्यवसाय किया जाता है। विपणन संघ के पास वर्तमान में 7.39 लाख मे.टन की गोदाम भंडारण क्षमता है।

विपणन संघ की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है :–

(राशि रूपये करोड़ों में/मात्रा लाख टन में)

क्र.	मद	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16 (31.12.2015 पर)
1.	अंशपूंजी2	8.73	8.73	8.73
2.2	निधियां2	14.11	45.98	45.98
3.2	कार्यशील पूंजी	269.24	287.84	287.98
4.2	कुल व्यवसाय2	6670.76	8081.73	6557.70
5.	शुद्ध लाभ2	34.72	39.98	33.87
6.2	कृषि आदान वितरण2	3009.18	2919.76	2752.98
7.	समर्थन मूल्य पर गेहूं2 उपार्जन (मात्रा)	20.73	23.41	26.33
8.2	समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन (मात्रा)	6.39	5.35	4.28

विपणन संघ द्वारा कृषि आदान के अन्तर्गत रसायनिक उर्वरक वर्ष 2013–14 में 2828.43 करोड़, वर्ष 2014–15 में 2774.72 करोड़, वर्ष 2015–16 में (31.12.2015 तक संभावित) 2694.69 करोड़ का व्यवसाय सहकारी क्षेत्र के माध्यम से किया गया।

3. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल

गृह निमार्ण क्षेत्र में द्विस्तरीय संरचना के अंतर्गत प्रदेश में गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आवास ऋण एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शीर्ष स्तर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ मर्या., भोपाल तथा जिले में प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं। आवास संघ वर्ष 1970 से कार्यरत है। आवास संघ संभाग स्तर पर अपनी 04 शाखाओं भोपाल, इन्दौर, उज्जैन एवं जबलपुर के माध्यम से अपना व्यवसाय करती है। आवास संघ का मुख्य उद्देश्य राज्य की गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं/व्यवसायिक निर्माण से संबंधित संस्थाओं / कम्पनियों / व्यक्तियों के माध्यम से आवास ऋण उपलब्ध कराना है। आवास संघ गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के पास उपलब्ध भूमि के विकास का कार्य तथा संयुक्त उपक्रम परियोजना के अंतर्गत आवास निर्माण का कार्य भी करता है।

भण्डार गृह निर्माण योजनान्तर्गत आवास संघ द्वारा 40 स्थानों पर गोदाम निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 35 गोदामों का कार्य पूर्ण हो चुका है। 27 गोदाम हस्तांतरित हो गये है तथा 08 गोदामों का हस्तांतरण होना शेष है। शेष 05 गोदाम मे से 4 गोदाम निर्माणाधीन है व 01 गोदाम में भूमि विवाद के कारण कार्य स्थागित है।

आर.के.व्ही.वाई. (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना) के अन्तर्गत आवास संघ के द्वारा तीन वर्षो में 1000 मे.टन क्षमता के 200 गोदाम लागत रूपये 134 करोड़ का कार्य निम्नानुसार किया जाना है:–

1. वर्ष 2012–13 मे 1000 मे.टन क्षमता के 50 गोदाम के निर्माण हेतु रूपया 30.000 करोड का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसमें से 49 गोदामों का निर्माण कार्य पूर्ण तथा 01 एक गोदाम निर्माणाधीन।

2.0वर्ष 2013–14 में 80 गोदाम लागत राशि रू. 53.00 का निर्माण कार्य किया जाना थे0 जिसके अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में 33 गोदामों का कार्य पूर्ण 07, निर्माणाधीन शेष 40 गोदामों हेतु स्थानों का चयन कर निविदा आमंत्रित किये जा चुके है। अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3.0वर्ष 2014–15 में 70 गोदाम लागत राशि रू. 51.00 करोड़ का निर्माण का कार्य किया जायेगा।

(राशि रूपये करोड़ों में)

क्र.	मद	वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16 (31.12.2015 पर)
1.	अंशपूंजी	5.67	5.56	5.56
2.	सदस्य संख्या	1033	1033	1033
3.	कार्यशील पूंजी	324.95	372.02	372.02
4.	लाभ	(+)0.88	(+)0.85	(+)0.85

4. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ मर्या., भोपाल

प्रदेश के उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त उपभोक्ता सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय संरचना कार्यरत है। प्राथमिक स्तर पर जिलों में प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार, केन्द्रीय स्तर पर जिलों में थोक उपभोक्ता भण्डार तथा शीर्ष स्तर पर म.प्र. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कार्यरत है। उपभोक्ता संघ के द्वारा 03 प्रियदर्शनी सुविधा स्व सेवा केन्द्रों एवं 01 विस्तार पटल के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं को उपभोक्ता सामग्री का विक्रय किया जाता है। उपभोक्ता संघ के द्वारा शासकीय विभागों, निगम मंडलों आदि को भंडार क्रय नियम के अंतर्गत अधिकृत सामग्रियों का प्रदाय किया जाता है। उपभोक्ता संघ 10 शाखाओं के माध्यम से प्रदेश में व्यवसाय करता है। संघ द्वारा खण्डवा जिले में कुकिंग गैस वितरण कार्य एवं गोविन्दपुरा भोपाल में प्रिंटिंग यूनिट संचालन का कार्य भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त संघ शाखा रीवा द्वारा सीधी जिले के सिंहावल ब्लाक के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत होल सेल डीलर के रूप में मिट्टी तेल का वितरण किया जाता है। वर्तमान में उपभोक्ता संघ शाखाओं द्वारा विभागों से0 सामग्री प्रदाय हेतु ऑनलाईन आर्डर लिये जाने तथा प्रियदर्शिनी केन्द्रों द्वारा आम उपभोक्ताओं से ऑनलाईन आर्डर लिये जाने की व्यवस्था की गई है।0

5. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ मर्या., भोपाल

प्रदेश के कृषकों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से द्विस्तरीय संरचना कार्यरत है। जिलों में प्राथमिक बीज उत्पादक समितियों का पंजीयन वर्ष 2002 से किया जा रहा है। तथा बीज संघ का गठन वर्ष 2004 में किया गया है। प्रदेश में

अब तक कुल 2430 प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी संस्थाओं का गठन किया गया है। वर्तमान में बीज संघ के सदस्य सहकारी संस्थाओं की संख्या 745 है। संघ का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों को तकनीकि मार्गदर्शन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराया जाना है। वर्तमान में बीज संघ की अंश पूंजी रूपये 514.74 लाख है।

प्रदेश में प्राथमिक बीज उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2014–15 (विपरीत मौसम के कारण) में 2.89 लाख क्विंटल बीज उत्पादित कर खरीफ – 15 में कृषकों को उपलब्ध कराये गये तथा रबी 2014–15 में उत्पादित 5.34 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज रबी 2015–16 वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया।

प्रदेश में प्रमाणित बीजों के भण्डारण एवं कच्चे बीजों के प्रसंस्करण हेतु बीज संघ द्वारा 1000 मीट्रिक टन के 20 जिलों में गोदाम सह ग्रेडिंग प्लांट की योजना के तहत 19 स्थानों पर निःशुल्क भूमि का आवंटन हो चुका है, मात्र 01 स्थान हरदा जिले में भूमि आवंटित होना शेष है, 12 स्थानों पर कार्य लगभग पूर्ण है, 07 स्थानों पर गोदामों के निर्माण हेतु आवास संघ स्तर टेन्डर की कार्यवाही प्रगति पर है।

6. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल

द्विस्तरीय म.प्र. राज्य सहकारी संघ की स्थापना 25 मार्च 1958 को हुई है। जो निरंतर सहकारिता में मानव संसाधन विकास में क्रियाशील है। यह म.प्र. शासन द्वारा वित्त पोषित है।

संघ की प्रमुख गतिविधियों में म.प्र. सहकारिता आंदोलन में मानव संसाधन प्रचार प्रसार,सहकारी शिक्षण,सहकारिता प्रशिक्षण,कम्प्यूटर विधा का ज्ञान तथा सहकारिता का सहकारी समाचार का पाक्षिक रूप से नियमित प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें शासकीय योजनाओं तथा सहकारिता की उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है तथा वर्ष 2014–15 में 64182 तथा वर्ष 2015–16 में दिसम्बर 2015 तक 47443 व्यक्तियों को सहकारी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

7. एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली एवं राज्य शासन की वित्तीय सहायता से प्रदेश में वर्ष 1994 से एकीकृत सहकारी विकास परियाजनाएं संचालित है। योजना के अंतर्गत जिले को इकाई मानकार जिले की समस्त सहकारी संस्थाओं की वित्तीय एवं अधोसंरचना की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राशि स्वीकृत ही जाती है । योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत ऋण, 30 प्रतिशत अंश पूंजी तथा 20 प्रतिशत अनुदान शामिल है। प्रदेश में 30 राजस्व जिलों में 25 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी है वर्तमान में 12 परियोजनायें क्रमशः भोपाल, बालाघाट, सिवनी, देवास, हरदा, रीवा, शिवपुरी, होशंगाबाद, धार, शाजापुर (आगर), ग्वालियर एवं छतरपुर जिलों में संचालित है। शेष 08 जिलों में से 05 जिले क्रमशः सतना, मण्डला, पन्ना, श्योपुर, मुरैना; जिले की डी.पी.आर राज्य शासन से अनुमोदित होकर निगम की स्वीकृति हेतु अनुशंसित कर दी गई है एवं शेष 03 जिले क्रमशः डिण्डोरी, दतिया,

दमोह, की डी.पी.आर तैयार हो चुकी है शेष कार्यवाही प्रक्रियाधीन है वर्तमान में संचालित 12 परियोजनाओं से परियोजना अवधि 05 वर्ष में लगभग 03 लाख मे.टन भण्डारण क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है जिसमें से अभीतक लगभग 87000 मे.टन भण्डारण क्षमता का विकास हो गया है वर्ष 2015–16 में राज्य शासन के बजट में परियोजनाओं के लिये स्वीकृत प्रावधान राशि रू. 65.00 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 59.52 करोड़ का उपयोग किया गया जो लगभग 91.56 प्रतिशत है।

विभाग के दायित्व

1. प्रशासकीय कार्य

विभाग द्वारा सहकारी संस्थाओं का पंजीयन किया जाकर संस्थाओं के उन्नयन हेतु कार्य किए जाते हैं। सहकारी संस्थओं की आर्थिक सुदृढ़ता हेतु उनके प्रस्तावों पर विचार कर शासन तथा विभिन्न वित्तदायी एजेन्सी के माध्यम से ऋण, अंशपूंजी एवं अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल के निर्वाचन का दायित्व भी विभाग पर है। संस्थाओं के संचालक मंडल के कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व नवीन संचालक मंडल के गठन हेतु विभाग द्वारा निर्वाचन कराये जाते है। संस्थाओं द्वारा सहकारी अधिनियम एवं नियम तथा उनके उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने की स्थिति की जानकारी हेतु समय–समय पर निरीक्षण एवं जांच का कार्य किया जाता है।

2. वैधानिक कार्य

सहकारी अधिनियम एवं नियम तथा संस्थाओं की उपविधियों में संस्थाओं के कार्य संचालन के संबंध में विभिन्न प्रावधान किये गए हैं। संस्थाओं के पदाधिकारियों, संचालक मंडल के सदस्यों एवं कर्मचारी/अधिकारियों द्वारा प्रावधानों के अनुसार दायित्व का निर्वहन नहीं करने पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधान अंतर्गत विभाग द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

3. अंकेक्षण कार्य

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 में दिनांक 13 फरवरी 2013 से हुए संशोधन के फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षक की नियुक्ति संस्थाओं की आमसभा द्वारा की जाना है संस्थाओं को स्वत्रतंत्रता दी गई है कि वे सनदी लेखापाल अथवा विभागीय पेनल से सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण कराये। अंकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत टीप में उल्लेखित आपत्तियों का निराकरण संस्थाओं से कराया जाकर त्रुटियों का निराकरण कराया जाता है। वर्ष 2015–16 में 38939 सहकारी संस्थाओं के अंकेक्षण कराये जाने है जिसमे से दिनांक 31.12.215 पर 20251 सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण पूर्ण किया गया है जो 52 प्रतिशत रहा है। गत वर्ष कुल 37928 सहकारी संस्थाओं में से 26436 सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण पूर्ण कराया गया तथा अंकेक्षित संस्थाओं से राशि रूपये 1311.61 लाख की अंकेक्षण शुल्क वसूली की गई।

4. न्यायालयीन कार्य

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के प्रावधानों के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं एवं उनके सदस्यों में मध्य उत्पन्न विवाद तथा सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के सेवा नियोजन से संबंधित विवादों का निराकरण सहकारी न्यायालयों में किया जाता है। न्यायालय सहायक/उप पंजीयक द्वारा निराकृत प्रकरणों में प्रथम अपील/निगरानी संयुक्त पंजीयक के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। न्यायालय संयुक्त पंजीयक के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील/निगरानी म.प्र. राज्य सहकारी अधिकरण में प्रस्तुत की जाती है। इसी प्रकार न्यायालय पंजीयक तथा उक्त न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों संयुक्त पंजीयक/अपर पंजीयक द्वारा निराकृत विवाद प्रकरणों के विरूद्ध प्रथम अपील मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण में प्रस्तुत की जाती है।

प्रदेश में सहकारी न्यायालयीन प्रकरणों की संकलित जानकारी

क्र.	धारा	दिनांक 01.01.15 पर लंबित रहे शेष प्रकरणों की संख्या	दिनांक 01.01.15 से 31.12.2015 तक प्राप्त प्रकरणों की संख्या	योग (3+4=5)	दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 31.12.2015 तक निराकृत प्रकरणों की संख्या	दिनांक 01.01.16 पर लंबित प्रकरणों की संख्या (5–6=7)
1	2	3	4	5	6	7
1	80 क	463	263	747	369	378
2	78	1389	439	1806	593	1213
3	64	4192	1367	5631	1279	4352
2	55(2)	694	286	973	351	622
योग		6738	2355	9157	2592	6565
6	84	47779	75690	112559	38661	73898
7	84(क)	650	643	1649	764	885
8	85	148158	13099	130062	27718	103425
9	58(बी)	47	138	994	86	908
10	विविध	15	149	293	147	146
योग		196649	89719	245557	67376	179262
महायोग		**203387**	**92074**	**254714**	**69968**	**185827**

प्रदेश में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की संकलित जानकारी
(दिनांक 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति में)

क्रमांक	सहकारी संस्थाओं के प्रकार	महिला सहकारी सोसायटी		समस्त सहकारी सोसायटी (महिला सहकारी सोसायटी सहित)	
		कार्यशील	परिसमापन में	कार्यशील	परिसमापन में
1	2	3	4	5	6
1	विपणन सहकारी संस्थाऐं	0	0	261	33
2	फल फूल साग सब्जी विप. सह	0	0	188	146
3	प्राथमिक कृषि साख सह. संस्थाऐं	0	0	4524	13
4	प्राथमिक अकृषि साख सह. संस्थाऐं	188	38	3123	460
5	प्राथमिक तिलहन उत्पादन सह. संस्थाऐं	2	2	155	577
6	प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सह. संस्थाऐं	1404	259	7450	1406
7	प्राथमिक मछली पालन सह. संस्थाऐं	30	6	1977	229
8	प्राथमिक बुनकर सह. संस्थाऐं	24	17	484	490
9	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार	1666	103	4525	606
10	खनिज / श्रमिक / उत्खनन सह. संस्थाऐं	8	3	555	253
11	गृह निर्माण सह. संस्थाऐं	4	0	2179	758
12	सहकारी प्रिंटिंग प्रेस	10	1	224	60
13	ग्रामीण विद्युत सह. संस्थाऐं	0	0	2	12
14	औद्योगिक सह. संस्थाऐं	86	64	712	1122
15	प्राथमिक लघुवनोपज सह. संस्थाऐं	1	0	1071	10
16	सामान्य सहकारी संस्थाऐं	16	12	1071	163

17	बहुउददेशीय सह. संस्थाऐं	1099	455	1231	537
18	बीज उत्पादक सह. संस्थाऐं	1	0	1948	482
19	सामूहिक कृषि / कृषि सह. संस्थाऐं	0	0	22	247
20	पशु / कुक्कुट पालन सह. संस्थाऐं	4	0	47	38
21	प्रसंस्करण सह. संस्थाऐं	6	4	56	54
22	शीत गृह सह. संसथाऐं	0	0	13	5
24	सहकारी शक्कर कारखाना	0	0	6	3
25	जिला सह. केन्द्रीय बैंक	0	0	38	0
26	जिला सह. कृषि और ग्रामीण वि. बैंक	0	0	36	2
27	नागरिक सहकारी संघ	10	5	55	19
28	जिला सहकारी संघ	0	0	39	0
29	जिला वनोपज संघ	0	0	50	10
30	जिला सह. थोक उपभोक्ता भंडार	0	0	38	4
31	जिला अन्त्यव्यवसायी सह. विका. समिति	0	0	48	0
32	जिला बीडी सहकारी संघ	0	0	1	1
33	मछुआ संघ	0	0	3	0
34	शीर्ष सहकारी संस्थाऐं	0	0	15	0
36	यातायात सहकारी संस्थाऐं	0	0	81	66
37	अन्य	100	47	770	415
	योग	4659	1016	32998	8221

भाग – दो

बजट विहंगावलोकन

(एक दृष्टि में)

भाग–2

विभागीय बजट 2015–16

विभागीय बजट मुख्यतः दो भागों में विभाजित है

आयोजना एवं आयोजनेत्तर

विभागीय अमले एवं नियमित कार्यालयीन व्यय हेतु आयोजनेत्तर बजट प्रावधानित है । आयोजना मद में विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं एवं उनसे संबंधित कार्यक्रमों के लिए बजट प्रावधान रखा जाता है । विभाग का आयोजना बजट मांग संख्या 17, 41 एवं 64 के अंतर्गत प्राप्त होता है । विभाग को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा भी विभाग की आई.सी.डी.पी. परियोजनाओं के लिए आर्थिक सहायता राज्य शासन के बजट के माध्यम से भी प्राप्त होती है ।
उपरोक्तानुसार विभाग को प्राप्त होने वाले बजट का विवरण निम्नानुसार है :–

आयोजना बजट वर्ष 2015–16

(राशि लाख में)

स. क.	लेखा शीर्ष	बजट प्रावधान 2015–16	प्रथम अनुपूरक 2015–16	द्वितीय अनुपूरक 2015–16	तृतीय अनुपूरक 2015–16	योग	व्यय 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
अ राज्य शासन का हिस्सा							
	मांग संख्या –17	192093.84	60000.00	39000.00	5840.00	296934.68	83169.81
	मांग संख्या–41	7007.52	0.00	12000.00	755.87	19763.39	3700.52
	मांग संख्या –64	2882.08	0.00	9000.00	274.87	21431.82	82.08
	योग राज्य शासन का हिस्सा (17,41 एवं 64 का)	201983.44	60000.00	60000.00	6870.74	338128.64	86952.41

विभागीय योजनाओं में बजट प्रावधान एवं व्यय (योजना अनुसार)

वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभाग को आयोजना क्षेत्र में मांग संख्या 17,41,64 बजट प्राप्त होता है । तीनों मांग संख्याओं में संचालित की जाने वाली योजनाओं में प्रावधान के विरूद्व व्यय की स्थिति निम्नानुसार है :–

भाग–अ– राज्य शासन का हिस्सा

मांग संख्या – 17 सामान्य

क	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2015–16	प्रथम अनुपूरक	द्वितीय अनुपूरक	तृतीय अनुपूरक	योग	व्यय 31.12.15 पर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्पकालीन कृषि ऋणों पर कृषकों को ब्याज अनुदान	104400.00	60000.00	0.00	0.00	164400.00	71810.24
2	म.प्र. राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन	12374.80	0.00	0.00	0.00	12374.80	6249.36
3	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना	6500.00	0.00	0.00	0.00	6500.00	3453.00
4	पैक्स एवं लैम्पस समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	1289.04	0.00	0.00	0.00	1289.04	1289.04
5	भण्डार गृह निर्माण हेतु अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	भण्डार गृह निर्माण हेतु कर्जे	1200.00	0.00	0.00	0.00	1200.00	0.00
7	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तत करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	65500.00	0.00	39000.00	0.00	104500.00	0.00
8	प्राथमिक विपणन सह. समितियों को सहायता	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	120.00
9	अक्षम पैक्स एवं लैम्पस समितियों को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	बीज संघ को अंशपूंजी सहायता	00.00	0.00	0.00	0.00	00.00	0.00

11	बीज संघ को स्थापना एवं प्रबंधकीय अनुदान	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	150.00
12	बीज संघ को गोदाम एवं ग्रेडिंग प्लांट हेतु अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13	नवीन सहकारी समितियों को स्थापना	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
14	सूचना प्रोद्योगिकी	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	39.17
15	म.प्र. राज्य सहकारी जिला संघ के गठन की योजना	72.00	0.00	0.00	0.00	72.00	54.00
16	विभागीय अधिकारियों का प्रशिक्षण	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	5.00
17	सहकारी शक्कर कारखाने की अंशपूंजी में धनवेष्ठन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	0	00	0	5840.84	5840.84	0.00
	योग	192093.84	60000.00	39000.00	5840.84	296934.68	83169.81

भाग –अ– राज्य शासन का हिस्सा
मांग संख्या –41 आदिवासी

(राशि लाख में)

स. क.	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2015–16	प्रथम अनुपूरक 2015–16	द्वितीय अनुपूरक 2015–16	तृतीय अनुपूरक 2015–16	योग	व्यय 31.12.2015 की स्थिति में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्पकालीन कृषि ऋणों पर कृषकों को ब्याज अनुदान	6600.00	0			6600.00	3293.00

2	पैक्स एवं लैम्पस समितियो को प्रबंधकीय अनुदान	407.52	0	0	0	407.52	407.52
3	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तत करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	0	0	12000.00	0	12000.00	0
4	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	0	0	0	755.87	755.87	0
	योग	**7007.52**	**0**	**12000.00**	**755.87**	**19763.39**	**3700.52**

भाग –अ– राज्य शासन का हिस्सा

मांग संख्या –64– अनुसूचित जाति उप योजना

(राशि लाख में)

स. क.	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2015–16	प्रथम अनुपूरक 2015–16	द्वितीय अनुपूरक 2015–16	तृतीय अनुपूरक 2015–16	योग	व्यय 31.12.2015 की स्थिति में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अल्पकालीन कृषि ऋणों पर कृषकों को ब्याज अनुदान	2800.00	0			2800.00	0.00
2	पैक्स एवं लैम्पस समितियो को प्रबंधकीय अनुदान	82.08	0	0	0	82.08	82.08

3	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तत करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	0	0	9000.00	0	9000.00	0
4	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	0	0		274.87	274.87	0
	योग	2882.08	0	9000.00	274.87	12156.95	82.08

भाग –ब– भारत शासन का हिस्सा

(निम्नांकित मदों में भारत शासन का कोई हिस्सा नहीं है)

स. क्र.	योजना का नाम	बजट प्रावधान 2015–16	प्रथम अनुपूरक 2015–16	द्वितीय अनुपूरक 2015–16	योग	व्यय 31.12. 2015 की स्थिति में
1	2	3	4	5	6	7
1	मांग संख्या–17	0	0	0	0	0
2	मांग संख्या 41	0	0	0	0	0
3	मांग सख्या 64	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	0

आदिवासी उपयोजना बजट प्रावधान वर्ष 2015–16

वित्तीय वर्ष 2015–16 में शासन द्वारा सहकारिता विभाग को मांग संख्या 41 आदिवासी उपयोजना क्षेत्र की दो योजनाओं में कुल रू. 7007.52 लाख एवं द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक अनुमान में रू.12755.87 लाख का बजट प्राप्त हुआ है । कुल मुख्य बजट के विरूद्व दिनांक 31.12.2015 तक रूपये 3700.52 लाख का व्यय किया जा चुका है ।

विभाग की वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जाति उप योजना क्षेत्र मांग संख्या 64 में राशि रू .2882.00 लाख एवं द्वितीय एवं तृतीय अनुपूरक अनुमान में राशि रू.9274.87 लाख का बजट प्राप्त हुआ है मुख्य बजट के विरूद्व व्यय दिसम्बर 2015 तक 82.08 लाख का व्यय किया जा चुका है। पैक्स एवं लैम्पस समितियों को प्रबंधकीय अनुदान – यह योजना जिला स्तरीय योजना है, इस योजना के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र की सहकारी साख संस्थाओं को प्रबंधकीय कार्य हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाता है

आदिवासी उपयोजना में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की जानकारी निम्नानुसार है :–

आदिवासी उप योजना मांग संख्या –41

वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि
(राशि लाख में)
(भौतिक उपलब्धि इकाई में)

स. क.	योजना का नाम	वर्ष 2015–16 में बजट प्रावधान	प्रथम अनुपूरक 2015–16	द्वितीय अनुपूरक 2015–16	तृतीय अनुपूरक 2015–16	योग	31.12.15 तक व्यय	भौतिक उपलब्धि में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अल्पकालीन कृषि ऋणों पर कृषकों को ब्याज अनुदान	6600.00	0.00	0.00	0.00	6600.00	0.00	605378 कृषक
2	पैक्स एवं लैम्पस समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	407.52	0.00	0.00	0.00	407.52	407.52	849 समिति
3	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तत करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	0	0	12000.00	0	12000.00	12000.00	
4	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	0	0	0	755.87	755.87	755.87	
	योग	7007.52	0	12000.00	755.87	19763.39	13163.39	

भौतिक उपलब्धि की जानकारी निम्नानुसार है :–
अनुसूचित जाति योजना मांग संख्या 64

वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि
मांग संख्या–64– अनुसूचित जाति
(भौतिक उपलब्धि इकाई में)

स. क.	योजना का नाम	वर्ष 2015–16 में बजट प्रावधान	प्रथम अनुपूरक 2015–16	द्वितीय अनुपूरक 2015–16	तृतीय अनुपूरक 2015–16	योग	31.03.15 तक व्यय	भौतिक उपलब्धि में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अल्पकालीन कृषि ऋणों पर कृषकों को ब्याज अनुदान	2800.00	0.00	0.00	0.00	2800.00	0.00	403586
2	पेक्स एवं लैम्पस समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	82.08	0.00	0.00	0.00	82.08	82.08	342 समिति
3	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तत करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक	0.00	0.0	9000.00	0.00	9000.00	0.00	
4	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	0.00	0.00	0.00	274.87	274.87	0.00	
	योग	**2882.08**	**0**	9000.00	**274.87**	12126.95	**82.08**	

भाग – 3

विगत तीन वर्षों में विभागीय योजनाओं के बजटीय प्रावधान एवं व्यय की तुलनात्मक स्थिति

12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) हेतु विभाग का योजना परिव्यय रू.397600.00 लाख राज्य योजना मंडल द्वारा स्वीकृत किया गया है । स्थायी वित्त समिति, वित्तीय व्यय समिति एवं परियोजना परीक्षण समिति द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिये कुल रू. 426515.20 लाख का परिव्यय स्वीकृत है । 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में विभागीय योजनाओं के लिये रू. 86714.90 लाख का योजना परिव्यय स्वीकृत था । जिसके विरूद्व शासन द्वारा रू. 125272.90 लाख का बजट उपलब्ध कराया गया था । 12 वीं पंचवर्षीय योजना का योजना परिव्यय 11 वीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में राशि रू. 3108.85 लाख अधिक है । आयोजना क्षेत्र में शासन द्वारा उपलब्ध कराये गये अतिरिक्त बजट के अनुसार विभाग द्वारा योजना आयोग से विभाग की योजना सीमा में वृद्वि करने के प्रस्ताव भेजे गये हैं शासन द्वारा विभाग की योजनाओं में विगत तीन वर्षों में उपलब्ध कराये गये बजट एवं उनके विरूद्व विभाग द्वारा किये गये व्यय का विवरण निम्नानुसार है :–

(अ) राज्य योजनायें

विगत 3 वर्षों में विभागीय योजना को उपलब्ध बजट एवं व्यय का विवरण

(राशि लाख में)

स. क.	योजना का नाम	वर्ष 2013–14		वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16	
		प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय	प्रावधान	व्यय 31.12.15 पर
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अधिकारियों का प्रशिक्षण	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00
2	पैक्स एवं लेम्पस समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	1289.28	1288.94	3011.50	969.60	1289.04	1289.04
3	एकीकृत सहकारी विकास परियोजनायें	5500.00	5251.36	6500.00	5100.00	6500.00	3453.00
4	म0प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण पत्रों का निर्गमन	13533.00	13532.72	12955.00	12954.76	12374.80	6249.36
5	शक्कर कारखाना	0.01		562.00		0.00	0.00

	कैलारस की स्थापना हेतु सहायता						
6	राज्य / जिला सहकारी संघों के गठन हेतु सहायता	60.00	60.00	66.00	66.00	72.00	54.00
7	सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पावधि ऋणों पर ब्याज अनुदान	50000.00	32827.50	42050.00	12820.00	164400.00	71810.24
8	अल्पावधि ऋणों को मध्यावधि ऋणों में परिवर्तन हेतु राज्य शासन का अंशदान	1198.00		5500.00		39000.00 तृतीय अनुपूरक	0.00
9	सूचना प्रोद्योगिकी से संबंधित कार्य	100.00	95.72	100.00	70.46	100.00	39.17
10	भंडार गृह निर्माण हेतु अनुदान	600.00	600.00	705.90		600.00	0.00
11	भंडार गृह निर्माण हेतु कर्जे	600.00	516.60	705.90		600.00	0.00
12	प्राथमिक विपणन समितियों को सहायता	400.00	400.00	300.00	120.00	300.00	120.00
13	अक्षम पैक्स / लैम्पस समितियों को सहायता	262.71	262.71	13.71	13.71	0.00	0.00
14	बीज संघ को अंशपूंजी सहायता	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00	00.00

15	बीज संघ को स्थापना एवं प्रबंधकीय अनुदान	250.00	250.00	250.00	150.00	250.00	150.00
16	बीज संघ को गोदाम एवं ग्रेडिंग प्लांट हेतु अनुदान	200.00	200.00	200.00	120.00	0.00	0.00
17	नवीन सहकारी संस्थाओं को अंशपूंजी सहायता	100.00	100.00	100.00	30.00	100.00	0.00
18	प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कृषकों को अल्पकालीन ऋण का मध्यकालीन ऋण परिवर्तन पर ब्याज अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	5840.84 तृतीय अनुपरक	0.00
	योग	74298.00	55590.55	73124.02	32503.53	231434.68	83169.81

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना :–

वर्तमान में सहकारिता विभाग में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं है ।

(स) विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनायें :–

वर्तमान में सहकारिता विभाग में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं है ।

(द) विदेशी सहायता प्राप्त योजनायें /परियोजनायें :–

वर्तमान में सहकारिता विभाग में ऐसी कोई योजना संचालित नहीं है ।

भाग – चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

पंजीकृत सहकारी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लेखा जोखा का वैधानिक अंकेक्षण सम्परीक्षक अथवा सम्परीक्षक फर्म से कराया जाता है। मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 59 के अन्तर्गत किसी संस्था के लेनदार एवं सदस्यों की शिकायत पर जांच तथा धारा 60 के अंतर्गत संस्थाओं के क्रियाकलापों के निरीक्षण कराये जाते है।

97 वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के विभिन्न प्रावधानों में किये गये संशोधन के परिप्रेक्ष्य में म.प्र. सहकारी सोसाइटी नियम 1962 में आवश्यक संशोधन किये गये है। इन संशोधन से सहकारी संस्थाऐं प्रजातांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की अधिकाधिक सहभागिता, आर्थिक आत्म निर्भरता एवं पेशेवर प्रबंधन के साथ कार्य करने में सक्षम हुई हैं।

सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल का कार्यकाल 05 वर्ष नियत है, कार्यकाल अवसान के पूर्व सहकारी संस्थाओं में नवीन संचालक मंडल के निर्वाचन किये जाते हैं। सहकारी अधिनियम एवं नियम में संशोधन प्रावधान अनुसार सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु पृथक से म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा सभी निर्वाचन हेतु ड्यू सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन कराये जा रहे है।

भाग – पांच

अभिनव योजना

1. शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण वितरण

प्रदेश की 4524 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कृषक सदस्यों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2015–16 में निर्धारित फसल ऋण वितरण के लक्ष्य राशि रूपये 18000 करोड़ के विरूद्ध दिनांक 11.12.2015 तक राशि रूपये 11546.84 करोड़ का अल्पकालीन फसल ऋण वितरित किया गया है। वर्ष 2016–17 में रूपये 21600 करोड़ के अल्पकालीन फसल ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2016–17 में लगभग 37 लाख कृषकों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण का लाभ दिया जाना अनुमानित है, जिसमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों की संख्या लगभग 10.15 लाख होने का अनुमान है।

2. सहकारी बैंकों मे कोर बैंकिंग

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक तथा उसकी 24 शाखाओं, 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा उनकी 829 शाखाओं को नाबार्ड की योजनान्तर्गत टीसीएस के तकनीकी सहयोग से कोर बैंकिंग से संबद्ध किया जा चुका है। कोर बैंकिंग के पश्चात सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रदेश की शीर्ष बैंक सहित सभी जिला बैंकों की शाखओं में एन.ई.एफ.टी सेवाऐं प्रारंभ की गई है। ग्राहकों के खातों में होने वाले संव्यवहारों की सूचना ग्राहकों को देने के उद्देश्य से एस.एम.एस.अलर्ट सुविधा प्रदान की जा रही है। सहकारी बैंकों द्वारा डीबीटी के तहत रसोई गैस, आधारकार्ड से अपने ग्राहकों को लिंक सबसीडी की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। सहकारी बैंकों के ग्राहकों के लिये शीघ्र ही ए.टी.एम सह डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान की जाना प्रस्तावित है। सहकारी बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को वाणिज्यिक बैंकों के समान समस्त आधुनिक बैंकिंग सुविधायें प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण (1000 मे. टन)

भारत सरकार की इस योजना में कृषि विभाग द्वारा सहकारिता विभाग को वर्ष 2012–13 से 1000 मे.टन क्षमता के 200 गोदाम निर्माण हेतु 134.00 करोड़ राशि शत प्रतिशत अनुदान के रूप में स्वीकृत की गई है। योजनान्तर्गत 200 गोदाम का निर्माण हो जाने पर 2.00 लाख मे.टन भण्डारण क्षमता विकसित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्ष 2012–13 के लक्ष्य अनुरूप 50, 2013–14 के लक्ष्य 80 में से 40 इस प्रकार कुल 90 गोदाम में से 82 गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 40 गोदामों के कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4. ग्रामीण भंडारण योजना अंतर्गत गोदाम निर्माण (500 मे.टन)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली एवं राज्य शासन की वित्तीय सहायता से वर्ष 2012–13 से वर्ष 2017–18 तक (05 वर्षो में) 500 मे.टन के 60 गोदाम प्रतिवर्ष बनाये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। योजना लागत में वृद्धि होने के फलस्वरूप यह प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। योजनान्तर्गत 50 प्रतिशत ऋण एवं 20 प्रतिशत अनुदान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम तथा 30 प्रतिशत राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। प्रथम 02 वर्ष क्रमशः 2012–13 एवं 2013–14 में 500 मे.टन के 120 गोदाम हेतु राशि रू. 21.166 करोड़ की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई जिनमें से 70 गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाकर 35000 मे.टन भण्डारण क्षमता का विकास किया गया शेष में निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

5. विपणन सहकारी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण

संकलप 2010 क्रमांक 23 अंतर्गत प्राथमिक विपणन सहकारी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण का संकल्प लिया गया है जिसके अंतर्गत प्रदेश की कुल लगभग 261 विपणन सहकारी संस्थाओं में से अल्प हानि एवं अल्प लाभ वाली 164 विपणन सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जानी है। इस वर्ष प्रावधानिक राशि रूपये 3 करोड़ में से 25 विपणन सहकारी समितियों को सुदृढ़ीकरण हेतु राशि रूपये 210.00 लाख तृतीय त्रैमास तक उपलब्ध कराई जा चुकी है, शेष राशि रू. 90.00 लाख वर्ष 2015–16 के चतुर्थ त्रैमास में उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रक्रिया प्रचलन में है।

6. अभिनव सहकारी संस्थाओं को सहायता

प्रदेश की जनता की सामाजिक एवं आर्थिक विकास के उद्देश्य से नवीन क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के गठन को प्रोत्साहन देने के लिए चालू वर्ष में अभिनव सहकारी संस्थाओं को अनुदान देने की योजना है। चालू वर्ष में राशि रूपये 1.00 करोड़ का प्रावधान किया जाकर 10 संस्थाओं को प्रत्येक संस्था रूपये 10–10 लाख अनुदान दिया जा रहा है।

7. नवाचार हेतु चिन्हित सहकारी क्षेत्र

1. **पर्यटन**–प्रदेश में प्रमुख पर्यटक स्थलो पर गाईड, वाहन, निवास, भोजन, लोकसंस्कृति का प्रचार प्रसार व अन्य सुविधाओ हेतु सहकारी समितियों एवं राज्य स्तरीय पर्यटन सहकारी संघ।
2. **परिवहन** – ग्रामीण क्षेत्रों व अन्य दुर्गम स्थानों पर परिवहन सुविधाओं हेतु परिवहन समितियां व राज्य स्तरीय परिवहन सहकारी संघ।
3. **सेवा प्रदाता** – परिवारिक कार्यों यथा बिल भुगतान, गृह संधारण, घरों का रखरखाब, यात्रा आरक्षण व नागरिकों से संबंधित सुविधाओं के लिये सेवा प्रदाता समितियां व राज्य स्तरीय सहकारी संघ।
4. **भण्डारण**– प्रदेश में सहकारी क्षेत्र में पंजीकृत विपणन समितियों तिलहन संघ शक्कर कारखाने प्राथमिक कृषि साख समितियों के भण्डार केन्द्रों के उपयोग हेतु राज्य सहकारी भण्डार गृह संघ का गठन।
5. **रहवासी समिति** – गृह निर्माण समितियों/कालोनियों में आवश्यक सेवाओं तथा सम्पत्ति की सुरक्षा व रखरखाब हेतु समितिया व राज्य स्तरीय रहवासी सहकारी संघ।
6. **महिला सहकारी संघ** – प्रदेश की विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत महिला सहकारी समितियों यथा दुग्ध उद्योग, हस्तकरघा मछली, व जैविक उत्पाद व जैविक खाद के उत्पादन/विकास हेतु मार्गदर्शन व शासकीय सुविधाओं की उपलब्धता हेतु राज्य स्तरीय महिला संघ का गठन।
7. **नवकरणीय उर्जा** – उर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोतों यथा सौर उर्जा के उपयोग हेतु समितियों का गठन व राज्य स्तरीय संघ के माध्यम से आवश्यक सहयोग।

भाग – छः

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

विभाग द्वारा सहकारी संस्थाओं के नियमन हेतु जारी विभिन्न परिपत्रों का संकलन कर मैन्यूअल का प्रकाशन निरंतर किया जाता है। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ द्वारा सहकारी समाचार पत्र का पाक्षिक रूप से निरंतर प्रकाशन किया जाता है। जिसमें शासकीय योजनाओं तथा सहकारिता की उपलब्धियों को प्रमुखता से प्रकाशित किया जाता है। संघ द्वारा सहकारी अधिनियम/नियम/संस्थाओं की उपविधियों एवं सहकारी गतिविधियों से संबंधित विशेषांकों का भी समय – समय पर प्रकाशन किया जाता है।

भाग – सात

सारांश

सहकारिता विभाग द्वारा पंजीकृत विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश में कृषकों, मछुआरों, श्रमिकों, दुग्ध, उत्पादकों, तेन्दुपत्ता संग्राहकों जैसे :– ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के निरंतर प्रयास हो रहे है। सहकारी संस्थाओं में स्वैच्छिक सदस्यता, नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता तथा पेशेवर प्रबंधन जैसे मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु वैधानिक एवं प्रशासकीय प्रयास किए जा रहे हैं।

****

कृषिकर्मण पुरूस्कार में विभाग की महती भूमिका के लिए आयुक्त, सहकारिता को प्रशस्तिपत्र प्रदान करते हुये माननीय मुख्यमंत्री

ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सहकारिता विभाग के वेबपोर्टल ई-कोऑपरेटिव्स को वर्ष 2015 में प्राप्त अवार्ड्स्

स्कॉच अवार्ड

ई-इंडिया अवार्ड

भोपाल शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय,2016